सं0- 4198/62-2-2014-2/3(37)/2014

सेवा में,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 30 जनवरी,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना लघु सिंचाई कार्यो की पंचम संगणना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र सं0-1968/ल0सिं0/बजट-पंचम संगणना/2014-15, दिनांक 30-12-2014 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना लघु सिंचाई कार्यो की पंचम संगणना हेतु प्राविधानित धनराशि `&393.00 लाख (रू0-तीन करोड तिरानवे लाख बीस हाजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश सं0-2272/62-2-2014-2/3(37)/2014, दिनांक 11-9-2014 द्वारा धनराशि `&150.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। वित्त विभाग द्वारा पुष्टि की गयी धनराशि `&376.13 लाख में पूर्व अवमुक्त धनराशि `&150.00 लाख को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि `&217.13 लाख (रूपया दो करोड सत्रह लाख तेहर हजार मात्र) को शासनादेश दिनांक 11-9-2014 मे निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक **"2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजनायें-0102-निजी लघु सिंचाई कार्यो की संगणना(के0-100/राज्य-00-के0)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में प्रादत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-4198(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, (रिपोर्ट ब्रान्च), उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4- निदेशक, सांख्यिकीय जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, बी-बिग, भूतल शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5- संयुक्त सचिव, (कमान), क्षेत्र विकास एवं लघु सिंचाई जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, भूतल शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।